



हर वोट की मती • हर निकाय महत्वपूर्ण

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्रमांक-एफ- 84-03/2019/छ:/ 24

भोपाल, दिनांक 23/07/2019

प्रति,

कलेक्टर एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन),
जिला-समस्त
(मध्यप्रदेश)

विषय:-नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा संशोधन कराने की अपील हेतु तैयार किये गये पोस्टर्स अथवा होर्डिंग्स के उपयोग बाबत।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम दिनांक 28.05.2019 को जारी किया गया है। इसके अनुसार दिनांक 21.08.2019 से 30.08.2019 तक मतदाता सूची में दावे आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए तिथियाँ निर्धारित की गई हैं।

2. मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जुड़वाने अथवा संशोधन कराने की अपील हेतु आयोग द्वारा 02 पोस्टर्स तैयार किये गये हैं, नमूना पत्र के साथ संलग्न है। साथ ही आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in पर Upload किया गया है। स्थानीय स्तर पर नियमानुसार दरें आमंत्रित कर इनकी प्रिंटिंग कराई जाये। पोस्टर्स अथवा होर्डिंग्स में अपने जिले का नाम अवश्य अंकित करा लें तथा इनका आकार लैंडस्केप में (4'x8') तथा पोर्ट्रेट में (5'x8') रखा जाये।

3. मतदाताओं में अपील एवं प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर्स अथवा होर्डिंग्स के रूप में नियमानुसार इनका मुख्य-मुख्य लोकेशन पर दिनांक 15.08.2019 से प्रदर्शित कराया जाना सुनिश्चित करें साथ ही अपील से संबंधित पोस्टर्स को सिनेमाघरों एवं स्थानीय केबल नेटवर्क में स्लाइड्स के रूप में भी प्रदर्शित कराया जाये।


(सुनीता त्रिपाठी)
सचिव

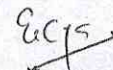
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृष्ठांकन क्रमांक:एफ-84-03/छ:/2019/ 25

भोपाल दिनांक 23/07/2019

प्रतिलिपि:- 1. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. आई. टी. सलाहकार, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(डॉ. सुरेश शाक्या)
उप सचिव

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग